बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

विषयः संवेदक, श्री पंकज कुमार, ग्राम–बालू टोला, पो0–नीरपुर, थाना–बी कोठी, जिला–पूर्णिया (सूचीबद्धता संख्या–102/12) के निबंधन को विभागीय आदेश ज्ञापांक–1756, दि0–17.11.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने के विरूद्ध दि0–16.12.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के संबंध में।

आदेश

1. प्रस्तुत मामला लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत एकरारनामा सं0–SBD-01/2013-14 में निहित शर्तों के अनुरूप शाहपुर बधौनी जलापूर्ति योजना के पुर्नगठन कार्य के तहत उच्च प्रवाही नलकूप पंप, पंप हाउस–सह–एटेन्डेंट कक्ष, स्टैण्ड पोस्ट, वितरण प्रणाली एवं सभी यांत्रिक अवयवों की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन सहित मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य में लापरवाही के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11 'क' की उपकंडिका–(II) के आलोक में श्री पंकज कुमार (सूचीबद्धता संख्या–102/12) को विभागीय आदेश ज्ञापांक–1756, दि0–17.11.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत किये जाने से संबंधित है।

2. उक्त कालीकरण के विरूद्ध संवेदक द्वारा दि0–16.12.2025 को अपील अभ्यावेदन समर्पित करते हुए काली सूची से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है एवं अपने आवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य के दौरान कतिपय परिस्थितियॉ एवं बाधाए यथा–वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने, पथ निर्माण विभाग द्वारा चलाई जा रही सड़क चौड़ीकरण कार्य, स्थानीय ग्रामीणों के विरोध, सरकारी नीति के तहत योजना को बन्द कर उक्त योजना को हर घर नल का जल योजना में समाहित करते हुए उक्त योंजना का कार्य दूसरे संवेदक को आवंटित कर दिया जाना आदि। जिसके कारण क्रियान्वित योजना की गति प्रभावित हुई एव योजना कार्य में बिलंब हुआ।

3. वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक के द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य अंकित नही किया गया है। साथ ही संवेदक के द्वारा कार्य विलंब के लिए परिस्थिति जनित कारकों को जिम्मेदार बताया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त संवेदक संवेदक, श्री पंकज कुमार, ग्राम--बालू टोला, पो0–नीरपुर, थाना–बी कोठी, जिला–पूर्णिया (सूचीबद्धता संख्या–102/12) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–1756, दि0–17.11.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए की गई कालीकृत (Blacklist) आदेश को यथावत रखा जाता है।

ह0/--

(पंकज कुमार पाल)

सचिव

Black List Office Order

ज्ञापांक–12/वि0–149/2025– 584 पटना, दिनांक– 10.4.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–149/2025– 584 पटना, दिनांक– 10.4.26

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/आई0 टी0 मैनेंजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेंजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक–12/वि0–149/2025–584 पटना, दिनांक– 10.4.26

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर/श्री पंकज कुमार, ग्राम–बालू टोला, पो0–नीरपुर, थाना–बी कोठी, जिला–पूर्णिया (सूचीबद्धता संख्या–102/12) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12/वि0–149/2025– 584 पटना, दिनांक– 10.4.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Black List Office Order